

कार्यालय

संयुक्त

निदेशक

फा0स0

मुख्यालय

लखनऊ।

पत्रांक:आर-103/जे0डी0/लखनऊ-13(गा0बाद)

265

दिनांक: जुलाई

2013.

सेवा में,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय:

मैसर्स अग्रवाल एशोसियेट प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लॉट न0 जी0एच0-6, ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन " आदित्य वर्ल्ड सिटी" के निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा के लिए प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रावीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक: 06-07-2013 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं उपनिदेशक फा0स0 मेरठ द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-
भवन की संरचना:- कुल प्लॉट एरिया-53,058.620 वर्ग मी0 है, भूतल कवर्ड एरिया-9822.251 वर्ग मी0।

क्रमांक	नाम ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	स्टेयर की संख्या व चौड़ाई	ऊँचाई मी0 में।
1	टावर-ए0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	1214.027	1024.994	2-1.55	59.45
2	टावर-बी0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	658.423	355.813	2-1.50	59.45
3	टावर-सी	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	658.423	655.813	2-1.50	59.45
4	टावर-डी0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	658.423	655.813	2-1.50	59.45
5	टावर-ई0	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	658.423	655.813	2-1.50	59.45
6	टावर-एफ	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	627.111	623.519	2-1.50	59.45
7	टावर-जी	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	627.111	623.519	2-1.50	59.45
8	टावर-एच	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	347.200	334.773	2-1.55	59.45
9	टावर-जे	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	640.730	637.138	2-1.50	59.45
10	टावर-के	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	627.111	623.519	2-1.50	59.45
11	टावर-एल	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	627.111	623.519	2-1.50	59.45
12	टावर-एम	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	651.595	634.640	2-1.50	59.45
13	टावर-एन	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	630.078	626.486	2-1.50	59.45
14	टावर-पी	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 19 तल	347.200	334.773	2-1.55	59.45
15	शाप्स एण्ड 01 बी0आर0 यूनिट	02बेस0, स्टिल्ट, भूतल एवं 04 तल	724.304	589.891	1-1.50	20.25
16	कम्प्यूनिटी	भूतल	358.317	-	-	-
17	नर्सरी स्कूल	भूतल एवं 01 तल	394.375	394.375	1-1.50	7.60

2-बेसमेन्ट:- प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है लोअर एवं अपर बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया:-36,678.194 वर्ग मी0 प्रत्येक।

भवन का अधिभोग विवरण:- प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ. प्र., लखनऊ

- 1- पहुच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी० मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।
- 2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन में प्रवेश द्वार की चौड़ाई-10.56 मी० है।
- 3-सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-
 ए०-अग्रभाग-15.00 मी०।
 बी०-पृष्ठ भाग-15.00 मी०।
 सी०-पार्श्व भाग प्रथम-15.00 मी०।
 डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-15.00 मी० प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।
- 3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में स्टेयर उपरोक्त तालिका के अनुसार है जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमत्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।
- 4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट में बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।
- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- प्रश्नगत भवन में एन०बी०सी० 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँछनीय है।
- 1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु न्यूनतम 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।
- 2-पम्प:- भूमिगत टैंक के पास 2280 एल०पी०एम० क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँछनीय है।
- 3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत भवन/ ब्लाक की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000, हजार ली०, एवं टयूलिप टावर में 25,000 हजार लीटर क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।
- 4-टेरिस पम्प:- प्रश्नगत शाप्ट एवं स्कूल की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एलपीएम का स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।
- 5-होजरील मय डाउनकामर:- प्रस्तावित भवन के ब्लाक/टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार वाँछनीय है।
- 6-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वाँछनीय है।
- 7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:- 45 मीटर से ऊँचे टावरों में सम्पूर्ण तलो व दोनों बेसमेन्ट एरिया में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार वाँछनीय है।
- 8-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-समस्त भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।
- 9-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के वाँछनीय है।
- 10-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।
- 11-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त तलो पर एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार वाँछनीय है।
- 12-पी०ए० सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरों पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वाँछनीय है।
- 13-प्रशिक्षित स्टाफ:- प्रश्नगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन०बी०सी०-2005 के प्रस्तर सी०-6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वाँछनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वाँछनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स अग्रवाल एशोसियेट प्रमोटर्स लि० द्वारा प्लॉट न० जी०एच०-6, ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन "आदित्य वर्ल्ड सिटी" के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ


 संयुक्त निदेशक
 फायर सर्विस मुख्यालय
 उ०प्र०, लखनऊ

इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र 21 अद.

प्रि0क0राव0
अग्निशमन विभाग
अनुमोदित निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
लखनऊ
द.प्र., लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

✓ 4- मैसर्स अग्रवाल एशोसियेट प्रमोटर्स लि0 द्वारा प्लॉट नं0 जी0एच0-6, ग्राम शाहपुर बम्हेटा जनपद गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।